दैनिक भास्कर

रायपुर 01-08-2025

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम घोटाला

4 आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 2000 पन्ने की चार्जशीट पेश की

भास्कर न्यूज़ | रायपुर

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम घोटाला के मामले में ईओडब्ल्यू ने 4 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। चालान पेश करने के दौरान इन चारों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इनमें से एक ही आरोपी कोर्ट में पेश हुआ। बाकी तीन आरोपियों को कोर्ट ने 23 सितंबर तक पेश होने का समय दिया है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, 2009-10 में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में एमजीएमएल काड्र्स क्लास 3-4 के प्रिंटिंग नियम में निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया। पापुनि ने प्रबोध एंड कंपनी को हिन्दी व गणित विषय की पुस्तक 8000-8000 सेट के लिए 3 करोड़ 82 लाख 89 हजार रुपए का भुगतान किया गया। शेष | पेज 9

इस मामले के ये हैं आरोपी

31 जुलाई को 4 आरोपियों, पापुनि तत्कालीन महाप्रबंधक सुभाष मिश्रा, उप प्रबंधक मुद्रण तकनीशियन संजय पिल्ले, मेसर्स छग पैकेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नंद गुप्ता और मेसर्स प्रबोध एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के युगबोध अग्रवाल के खिलाफ 2000 पन्ने का चालान कोर्ट में पेश किया गया है। पापुनि के तत्कालीन प्रबंधक संचालक (रिटायर्ड) जोसफ मिंज भी आरोपी बनाए गए हैं।